2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नटवरलाल. बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधुपर) सू.अ.अ. अपील संख्या 20 / 2019	
11.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नटवरलाल शर्मा पुत्र स्व. मोहनलाल पता 120, बी–सी, ईस्ट पटेल नगर, सर्किट हाउस रोड़ जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.11.19 में उसके द्वारा (1) जिला कलक्टर जोधपुर श्री टी.आर.वर्मा के आदेश क्रमांक राजस्व / 3818 दिनांक 06.07.85 द्वारा ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 425 रकबा 996.01 बीघा किस्म पहाड़ मिल्कियत सरकार में से 2500 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाश्य निर्माण हेतु आरक्षित रखने के आदेश की प्रति सत्यापित व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनिांक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	